(वाद संख्या–76/18)

09.02.2021

परिवादी, सविता देवी, अपने मौसेरे भाई, भरत भूषण चौहान, के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के घर में घुसकर गाली–गलौज, मार–पीट करने तथा हत्या कर देने की धमकी देने से संबंधित घटना का थाना प्रभारी, नारदीगंज को सूचित किये जाने के बावजूद भी मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, नवादा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, नवादा के प्रतिवेदनानुसार दिनांक 23.11.2017 को परिवादी के पड़ोसी महेन्द्र चौहान के परिवार के एक महिला सदस्य द्वारा दिनांक 23.11.2017 को बच्चे का पैखाना फेंके जाने का परिवादी द्वारा विरोध करने पर महेन्द्र चौहान द्वारा गाली–गलौज और मार–पीट किया गया था जिसे स्थानीय स्तर पर मुखिया द्वारा सुलझा दिया गया। लेकिन परिवादी द्वारा उक्त समझौता से असंतुष्ट रहने के कारण नारदीगंज थाना में महेन्द्र चौहान, रविन्द्र चौहान वगैरह के विरूद्ध एक लिखित शिकायत की गयी जिसके आधार पर अप्राथमिकी संख्या 95/19, दिनांक 04.10.2019 संस्थित कर निरोधात्मक कार्रवाई की गयी।

परिवादी का कथन है कि उभय पक्ष के बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक मामला चल रहा है।

अब, जबकि परिवादी के आवेदन पर संबंधित थाना द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है तथा निरोधात्मक कार्रवाई की गई है व उभय पक्ष के बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण

की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, नवादा के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, नवादा के प्रतिवेदन (पृ0–26–16/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक